55

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

20 Rs COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

RS.30/-

R5034-II/17

1- श्रीमती गीता गुप्ता पत्नी स्व0 श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता उम्र 48 वर्ष,

2- संजीव कुमार गुप्ता तनय स्व0 श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता उम्र 30 वर्ष,

3- विकास कुमार गुप्ता तनय स्व0 श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता उम्र 25 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम गंगेव, तहसील एवं थाना मनगवां, जिला रीवा म0प्र0

अधि0श्री [illegible] द्विवेदी द्वारा पेश/25-1-17

----------आवेदकगण

बनाम्

विपिन कुमार गुप्ता तनय सौखीलाल गुप्ता निवासी ग्राम [illegible]कला, तहसील मनगवां, जिला रीवा म0प्र0

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

---------अनावेदक

राजस्व निरीक्षक मण्डल गढ़, तहसील मनगवां, जिला रीवा द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक...../ए-12 /2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 23-10-16 के विरुद्ध निगरानी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः-

1- यह कि राजस्व निरीक्षक मण्डल गढ़ तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0 द्वारा बिना प्रकरण दर्ज किये किया गया नामान्तरण आदेश दिनांक 23-10-16 निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5034–दो/2017 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-7-18	आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त गढ़ तहसील मनगवॉ जिला रीवा के प्र0क्र0 1 अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 23–10–16 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 196/2/2 स्थित ग्राम पुर्वा के सीमांकन की मांग करने पर राजस्व निरीक्षक वृत्त मनगवॉ ने प्रकरण क्रमांक 1 अ–12/2016–17 पॅजीबद्ध करके सीमांकन कार्यवाही की है। हलका पटवारी ने सीमांकन की सूचना मेढ़िया कास्तकारों को देते हुये दिनांक 18–10–2016 को सीमांकन किया है। सीमांकन पर आपत्ति न आने पर राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 23–10–16 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि वाद विचारित भूमि के सीमांकन के पूर्व कोई सूचना जारी नहीं	

की गई। मौके पर सीमांकन नहीं किया गया, वल्कि अनावेदक के घर पर बैठकर पंचनामा बनाकर कागजात तैयार किये गये है समस्त कार्यवाही अनावेदक ने राजस्व निरीक्षक से सॉठगॉठ करके आवेदक को हानि पहुंचाने के लिये कराई है और आवेदक की भूमि प्रभावित कर दी गई है। इस प्रकार के सीमांकन को अंतिम कर देना गलत है इसलिये सीमांकन आदेश निरस्त किया जावे।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण के अवलोकन से परलिक्षित है कि भूमि सर्वे क्रमांक 196/2/2 स्थित ग्राम पुर्वा का अनावेदक रिकार्डेड भूमिस्वामी है जिसके कारण उसके स्वामित्व की भूमि का सीमांकन कराने हेतु वह पात्र है। यदि उक्त भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं् की भूमि को प्रभावित होना मानता है वह राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख/ सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमियों का सीमांकन ई0टी0एस0एम0 से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक वृत्त गढ़ तहसील मनगवॉं जिला रीवा के प्र0क्र0 1 अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 23–10–16 में हस्तक्षेप का औचित्य न होने से निगरानी अमान्य की जाती है।

सदस्य